बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001

(पंजीयन सं. – 633/2003)

Websitie : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com,

कार्य. अध्यक्ष

* सुरेश पासवान

मो.– 9431468605

महासचिव.

* सुशील कुमार

मो. – 9431091417, Email shushilkumar09@gmail.com

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष
* चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष
* विनोद आनन्द

दिनांक 26-12-2016

पत्रांक 48

सेवा में,

महानिदेशक,
निगरानी विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– निगरानी थाना कांड संख्या–127/16 में दर्ज प्राथमिकी से श्री सुरेश पासवान का नाम विलोपित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अनुरोधपूर्वक कहना है कि सुरेश पासवान, विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग–सह–सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना में पदस्थापित हैं। निगरानी थाना कांड संख्या–127/16 में दर्ज प्राथमिकी, जो विभाग द्वारा स्वीकृत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति से संबंधित है, इस प्राथमिकी में श्री पासवान को अभियुक्त बना दिया गया है जबकि इस मामले में श्री पासवान की संलिप्तता किसी भी तरह से नहीं है। उक्त के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:–

निदेशक का पद रिक्त रहने की स्थिति में सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय कार्य आदेश संख्या–1043 दिनांक– 15.06.2015 द्वारा निदेश दिया गया कि निदेशालय पक्ष एवं बिहार महादलित विकास मिशन, पटना द्वारा निदेशक के समक्ष उपस्थापित की जाने वाली सभी संचिकायें विशेष सचिव के माध्यम से सचिव–सह–निदेशक को उपस्थापित की जाए (छायाप्रति संलग्न)।

सचिव के निदेश के अनुपालन में श्री पासवान द्वारा संबंधित संचिका एवं संबंधित पत्र पर हस्ताक्षर किया गया (छायाप्रति संलग्न)। ये कार्य मात्र रूटीन कार्य था एवं सचिव के आदेश के आलोक में श्री पासवान द्वारा कार्य किया गया था। निदेशालय से संबंधित किसी भी कार्य या संचिका में श्री पासवान के स्तर पर निर्णय नहीं लिया गया है।

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को ससमय एवं नामांकन के साथ छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली, सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना का निदेश है (संबंधित पत्रों का छायाप्रति संलग्न)। इसके आलोक में आवंटन उपलब्ध कराया गया।

उपरोक्त वर्णित विवरणी से स्पष्ट है कि जो छात्र/छात्रा संस्थान छोड़ दिये है उनको भुगतान के लिए संस्थान के प्रभारी दोषी है न कि श्री पासवान। प्राथमिकी दर्ज होने से श्री पासवान एवं उनका परिवार काफी तनाव में है।

संघ का अनुरोध है कि वर्णित बिन्दुओं पर गहन समीक्षा कर श्री पासवान के साथ न्याय की जाय।

विश्वासभाजन

(सुशील कुमार)
महासचिव,

प्रतिलिपिः– श्री सुरेश पासवान, विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग–सह–सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव,

सेवा में,

महासचिव,
बिहार राज्य प्रशासनिक सेवा संघ,
बिहार, पटना।

विषयः– **निगरानी थाना कांड संख्या–127/16 में दर्ज प्राथमिकी से मेरा नाम विलोपित करने के लिए पुलिस महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से अनुरोध करने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अनुरोधपूर्वक अंकित करना है कि मैं सुरेश पासवान, विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग–सह–सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना में पदस्थापित हैं। निगरानी थाना कांड संख्या 127/16 में दर्ज प्राथमिकी, जो विभाग द्वारा स्वीकृत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति से संबंधित है, इस प्राथमिकी में मुझे अभियुक्त बना दिया गया है जबकि इस मामले में मेरी संलिप्तता किसी भी तरह से नहीं है। उक्त के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँः–

निदेशक का पद रिक्त रहने की स्थिति में सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय कार्य आदेश संख्या 1043 दिनांक 15.06.2015 द्वारा निदेश दिया गया कि निदेशालय पक्ष एवं बिहार महादलित विकास मिशन, पटना द्वारा निदेशक के समक्ष उपस्थापित की जाने वाली सभी संचिकायें विशेष सचिव के माध्यम से सचिव–सह–निदेशक को उपस्थापित की जाए (छायाप्रति संलग्न)।

सचिव के निदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा संबंधित संचिका एवं संबंधित पत्र पर हस्ताक्षर किया गया (छायाप्रति संलग्न)। ये कार्य मात्र रूटीन कार्य था एवं सचिव के आदेश के आलोक में मेरे द्वारा कार्य किया गया था। निदेशालय से संबंधित किसी भी कार्य या संचिका में मेरे स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता था।

जिस पत्र के द्वारा संबंधित संस्थानों यथा–गोन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एंड साईन्स, विशाखापतन्म, आंध्रप्रदेश एवं गुंटूर इंजीनियरिंग कॉलेज, गुंटूर, आंध्रप्रदेश के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति राशि, जिस पत्र के माध्यम से भेजा गया है, उसमें स्पष्ट निदेश है कि छात्र/छात्रा अगर संस्थान में छोड़ देता है तो वह राशि राज्य सरकार को संस्था प्रधान वापस कर दे (अनुलग्नक संलग्न)। अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को ससमय एवं नामांकन के साथ छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली, सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं

प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना का निदेश है (संबंधित पत्रों का छायाप्रति संलग्न)।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के आदेश के आलोक में गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, विधि विभाग तथा परिवहन विभाग में विभागीय स्थापना/प्रोन्नति/स्क्रीनिंग समिति की बैठक में भाग लेने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी के रूप में मैं मनोनित हूँ एवं मुझे सभी विभागों द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेना रहता है। फिर भी मैं इन कार्यो को काफी गंभीरता के साथ कार्य करता रहा हूँ।

मेरे विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 127/16 में प्राथमिकी दर्ज होने के कारण मैं काफी तनाव में रह रहा हूँ। मेरा इस कांड में शामिल किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है।

इस कांड में उल्लिखित विषयों में मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। इस कांड में नाम दर्ज होने के कारण मैं एवं पूरा परिवार भी मानसिक रूप से परेशान हैं। मेरे बच्चे का इस तनाव के कारण प्रतियोगिता परीक्षा आदि बाधित हो रहा है। मेरी माँ बहुत वृद्ध हैं एवं बीमार रहती हैं। इस कांड में मेरा नाम दर्ज होने के कारण मैं अत्यधिक परेशान हो गया हूँ।

अतः बिहार प्रशासनिक सेवा संघ से अनुरोध है कि निगरानी थाना कांड संख्या 127/16 में दर्ज प्राथमिकी से मेरा नाम विलोपित करने हेतु पुलिस महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से अनुरोध करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

26/12/16

(सुरेश पासवान),
विशेष सचिव,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

1043
15.06.2015

आदेश

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना के निदेशालय पक्ष एवं बिहार महादलित विकास मिशन पटना द्वारा निदेशक के समक्ष उपस्थापित की जाने वाली सभी संचिकायें विशेष सचिव के माध्यम से सचिव–सह–निदेशक को उपस्थापित की जाएगी।

2– प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1जी0 / ई0मु0स्था0–10–26 / 2013– 1043 पटना दिनांक 15 जून, 2015

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव / निदेशक के निजी सहायक, विशेष सचिव / उप सचिव / उप निदेशक कल्याण, (मुख्यालय) / सभी अवर सचिव सभी सहायक निदेशक, सभी प्रशाखा पदाधिकारी / मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0–4 / निदे0–प्रवेशिकोत्तर–छात्रवृति–140–01 / 2014 166

प्रेषक,

डॉ0 के0 पी0 रामय्या,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव,
शिक्षा विभाग / विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग / श्रम संसाधन विभाग / कृषि विभाग /
पशुपालन विभाग ।

पटना, दिनांक– 27/1/14

विषयः–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत अनिवार्य शुल्कों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा प्रवेशिकोत्तर में अध्ययनरत राज्य के अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र / छात्राओं के लिये अनु0 जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना एवं अनु0 जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है । वर्त्तमान में इस योजना के तहत अभिभावक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख निर्धारित है ।

2– प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त प्रवेशिकोत्तर पाठयक्रम तथा विधिवत मान्यता प्राप्त संसथान में राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर अध्ययनरत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र / छात्राओं सभी अनिवार्य शुल्क एवं मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है ।

3– इस योजना के तहत पाठयक्रमों को चार समुहों में विभाजित किया गया है । अलग–अलग पाठयक्रमों का मासिक छात्रवृति (अनुरक्षण भत्ता) निर्धारित दर पर किया जाता है । साथही सभी अनिवार्य शुल्को (पढाई समाप्ति के पश्चात लोटाई जाने वाली राशि यथा सेकुरिटी / कोशन मनी को छोड़कर) का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है । अनुरक्षण भत्ता का भुगतान छात्र / छात्राओं के बैंक खाता में तथा अनिवार्य शुल्क का भुगतान संबंधित संस्थान को किया जाता है ।

4– प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राशि विमुक्त की जाती है । साथही राज्य योजना एवं गैर योजना के तहत भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राशि का प्रावधान किया जाता है ।

डॉ0 जे0 एन0 चैम्बर, सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या–4 / 14 / स्कोलरशिप / 2013 / ESDW दिनांक–24.12.2013 जो मुख्य सचिव, बिहार को संबोधित है, एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार(छाया प्रति संलग्न) का

पत्र द्वारा उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं का संस्थान में नामांकन के समय फी नहीं लिया जाय । संस्थान द्वारा फी संबंधी प्रभार छात्रवृति आवेदन पत्र के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना या संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी से दावा प्रस्तुत किया जाय ।

अतः अनुरोध है कि बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर पाठयक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से नामांकन के समय किसी प्रकार का अनिवार्य फी नहीं लेने तथा फी संबंधी दावा एवं छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र इस विभाग या संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी को भेजने हेतु आपके नियंत्रांधीन शैक्षणिक संस्थानों को निदेशित करने की कृपा की जाय । कृपया यह भी उन्हें सूचित करना चाहेंगे कि अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति के लिये योग्य छात्र/छात्राओं से नामांकन के समय फीस आदि की मांग करना उन पर अत्याचार करने के बराबर होगा । छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी एवं छात्रवृति आवेदन पत्र इस विभाग के वेबसाईट www.scstwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध है ।

अनु0—यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(डॉ0 के0 पी0 रामय्या)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक— सं0—4/निदे0—प्रवेशिकोत्तर—छात्रवृति—140—01/2014 166 पटना, दिनांक— 27/1
प्रतिलिपि—सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक— सं0—4/निदे0—प्रवेशिकोत्तर—छात्रवृति—140—01/2014 166 पटना, दिनांक— 27/1
प्रतिलिपि—सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, पाँचवीं मंजिल, खान मार्केट, नई दिल्ली—110003 एवं संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली—110 001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव ।
27/1/2014

डॉ. जे. एन. चैम्बर
सचिव
DR. J.N. CHAMBER
Secretary
Tel. : 011-24620308
Telefax : 011-24694743

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

Speed Post

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
लोकनायक भवन, पाँचवीं मंजिल,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
LOK NAYAK BHAWAN, 5th FL.,
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003
E-mail : secretary-ncsc@nic.in

D.O.No.4/14/Scholarship/2013/ESDW

24th December-2013

Dear Sir,

It is brought to your kind notice that National Commission for Scheduled Castes has frequently been receiving large number of Complaints of delays in Scheduled Caste Students fee refunds. Non-payment of fee to the concerned Institutions often results in discontinuation of their studies.

Commission has examined this issue in detail. In order to enable the SC Students to continue with their studies without any financial hardship, the State Government/UT Administration is advised to facilitate the admission of eligible Scheduled Caste students on zero-fee-basis. No fee should be charged from the SC students at the time of admission. After completing the required formalities, the fee amount should directly go to the Institute through Bank account, under intimation to the students. The burden of depositing the fees should not be on the students. It shall also be the duty of the concerned Institution to obtain the necessary documents from the student at the time of admission for claiming fee reimbursement from the State Government/UT Administration. State Government must refund the fee without any delay.

I would, therefore, request you to review the position in your State Govt./UT Administration and furnish the action taken report to Commission within 15 days.

With Regards & Merry Christmas

Yours sincerely

(J.N. Chamber)

Shri Ashok Kumar Sinha,
Chief Secretary,
Govt. of Bihar,
Secretariat, Patna
(Bihar)

(149)

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–4 / निदे0–छात्र–विविध–181–12 / 2010– 644

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

कुल सचिव,
पटना विश्वविद्यालय, पटना / मगध विश्वविद्यालय, बोधगया / वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा / जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा / बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर / मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा / कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा / तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर / बी0 एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा / नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना / बिरला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मेसरा), पटना / पशुपालन महाविद्यालय परिसर, पटना / राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, समस्तीपुर / क्षेत्रीय निदेशक, IGNOU, बिस्कोमान भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / निदेशक, राष्ट्रीय प्रावैधिकी संस्थान, पटना / निदेशक, आई0आई0टी0, पटना / निदेशक, ललित नारायण मिश्र आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना।

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
बुद्धमार्ग, पटना।

क्षेत्रीय निदेशक,
सभी केन्द्रीय विद्यालय, बिहार /
सभी सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 सम्बद्ध 10+2 विद्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक– 31/3/11

[illegible] अनु0जनजाति के छात्र / छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना [illegible] करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र / छात्राओं के लिये प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पूरे राज्य में संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति के योग्य छात्र / छात्रायें जो मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम (वोकेशनल शिक्षा सहित) एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा एवं इससे आगे के वर्गों में अध्ययनरत हैं, को निर्धारित मापदण्डों के आलोक में छात्रवृत्ति के साथ अनुरक्षण भत्ता निर्धारित दर पर दिया जाना है साथ ही शिक्षण संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली सभी अनिवार्य शुल्क (कोशन मनी / सेकुरिटी मनी छोड़कर) की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थान / विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जानी है।

2– संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि स्टैंडिंग कमिटि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की बैठक में कई माननीय सदस्यों ने निजी संस्थानों द्वारा अनु0 जाति / अनु0 जनजाति के आर्हता प्राप्त छात्र / छात्राओं से शिक्षण शुल्क / ट्यूशन–फी इत्यादि वसूलने की शिकायत की है। समिति ने इस संबंध में निदेश दिया है कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय की अनु0 जाति / अनु0 जनजाति के आर्हता प्राप्त छात्र / छात्राओं को शैक्षणिक शुल्क / ट्यूशन–फी इत्यादि का भुगतान न करना पड़े बल्कि उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित संस्थान के दावे के आलोक में संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा की जाय। स्टैंडिंग कमिटि की बैठक में कुछ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा अनु0 जाति / अनु0 जनजाति से बैंक गारण्टी लेने की भी शिकायत की गयी है।

3-- इस योजना के तहत वैसे अनु0 जाति के छात्र/छात्राएं जो [illegible] संस्थानों में अध्ययनरत हैं एवं जिनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय 2.00 लाख रू0 (दो लाख रूपये) एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के अभिभावक का अधिकतम वार्षिक आय 1.45 लाख रू0 (एक लाख पैंतालिस हजार रूपये) से कम हो एवं बिहार राज्य के निवासी हो, इस योजना के तहत छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क इत्यादि प्राप्त करने योग्य हैं। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित संस्थानों को अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं द्वारा विहित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में सभी सूचनाओं को अंकित करते हुए, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ नामांकन के समय ही प्राप्त कर भेजा जाना है ताकि उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके।

4-- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत अन्य विस्तृत जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाईट--www.socialjustice.nic.in एवं अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट--www.scstwelfare.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में आपके अधीन संस्थान (अंगीभूत/संबद्ध/निजी संस्थानों सहित) में अध्ययनरत अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति के छात्र/छात्राओं से अनिवार्य शुल्कों की राशि की मांग न करते हुए नामांकन करने एवं प्रतिपूर्ति का दावा संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/निबंधक को आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें ताकि अनुमान्य अनिवार्य शुल्कों से संबंधित दावों का भुगतान किया जा सके एवं स्टैंडिंग कमिटि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के निदेश के अनुपालन से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत कराया जा सके।

विश्वासभाजन

(रवि-परमार) 31.3.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक--4/निदे0--छात्र--विविध--181--12/2010-- 644 पटना, दिनांक--31/3

प्रतिलिपि-- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 31.3

ज्ञापांक--4/निदे0--छात्र--विविध--181--12/2010-- 644 पटना, दिनांक--31/3

प्रतिलिपि-- प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग तथा प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ। अनुरोध है कि भवदीय स्तर से भी संबंधित संस्थानों को इस निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश देना चाहेंगे।

सरकार के सचिव। 31.3

ज्ञापांक--4/निदे0--छात्र--विविध--181--12/2010-- 644 पटना, दिनांक--31/3

प्रतिलिपि-- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली--110001 को उनके अर्द्धसरकारी पत्रांक--14021/2/2010--SCD-VI, दिनांक--06/10/10 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 31.3

K.M. Acharya

D.O. No.16015/01/2010 -SCD-V

January 17, 2011

In the Eleventh Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on the subject "Scholarship schemes for Scheduled Castes/Other Backward Classes", presented to the Parliament in October 2010, the Committee has made, *inter alia*, the following recommendations:-

i. opening of individual accounts of students in post-offices/banks, within a definite time-frame, for disbursement of scholarships (already advised vide my d.o. letters No.11017/10/2006-SCD.V dated 20.08.2009 and 05.10.2010);

ii. timely payment of scholarship (in at least quarterly installments, beginning with the first installment being paid immediately after admission) (already advised vide my d.o. letter No.11017/10/2006-SCD.V dated 05.10.2010);

iii. to ensure that full scholarship amount for 12 months is paid to all students;

iv. to implement e-payment of scholarships at the earliest;

v. to issue instructions to private institutions not to demand tuition fee from SC/OBC students who fulfill the eligibility criteria for scholarship schemes, but charge it from State Governments (already advised vide d.o. letter No.14012/2/2010-SCD-VI dated 06.10.2010 of Sh.Sanjeev Kumar, Joint Secretary, addressed to Principal Secretaries of all States/UTs);

vi. simplification of procedure for issue of caste certificate to SC/OBC students; and

vii. to set up Grievance Redressal Cells at the earliest to ensure expeditious redressal of grievances of SC/OBC students (already advised vide my d.o. letter No.11017/10/2006-SCD.V dated 05.10.2010).

Contd.....P2

2. The Standing Committee has desired us to take up the above issues with State Governments/UTs, being the implementing agencies for scholarship schemes, on priority, and ensure prompt action on its recommendations.

We have to submit action taken report on the above recommendations to the Standing Committee in a time-bound manner.

3. In the light of the above, I should be grateful if you could please have immediate action taken on the Parliamentary Committee's above recommendations, and a point-wise report on action taken/being taken, sent to us **latest by 15.2.2011**, along with copies of relevant instructions issued by the State Government.

Yours sincerely,

17/1

(K.M. Acharya)

To,

Chief Secretaries of

1. 24 States
   (All excluding Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram and Meghalaya)
2. NCT of Delhi, Chandigarh and Puducherry.

ISSUED

संयुक्त सचिव
Sanjeev Kumar
Telefax 23383853
Joint Secretary

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE
AND EMPOWERMENT
SHASTRI BHAWAN
NEW DELHI-110 001

DO No. 14012/2/2010-SCD-VI

October 06, 2010

Dear

As you are aware, Central Government is extending admissible Central assistance under "Post Matric Scholarship Scheme for SCs" and "Pre-matric Scholarship Scheme for Children of those Engaged in Unclean Occupations" to the States/UTs which are implementing these schemes.

2. During the sitting of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on 12[th] August, 2010, some Members raised the issue relating to charging of tuition fee from SCs, STs, OBCs and Minority students by private institutions. The Members stated that they had received several complaints that private institutions were charging full one year tuition fee from such students at the time of admission even though they fulfilled the criteria for scholarship under various schemes. Furthermore, apart from the tuition fee, some private institutions were also insisting upon furnishing a bank guarantee by the candidates. Though the tuition fee is refunded to them when the same is received by these institutions from State Governments, it results in a lot of hardship to students.

3. Taking a serious view on above, the Committee have desired the Ministry to take up the matter with State Governments to issue instructions to private institutions not to demand tuition fee, inter alia, from SC students who fulfill the eligibility conditions as has been done by Government institutions. The Committee also desired that the action taken by the Ministry in this regard may be conveyed to them urgently.

4. You are therefore requested to take necessary action in this regard and issue necessary instructions to all private institutions not to charge any tuition fee from eligible SC students and ensure compliance thereof. I would also request you to forward a copy of these instructions to this Ministry also.

Yours sincerely,

(Sanjeev Kumar)

Principal Secretaries/Secretaries (SW) of all States/UTs

As per list encl

Copy to
DS(GK)

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार

सं0स0–5 / निदे0(छात्रवृति)–233–1664 / 15–

विषयः– Guntur Engg College Guntur, Andhra Pradesh संस्था में अध्ययनरत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र / छात्राओं को वर्ष ~~2014–15~~ 2013-14 के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत् अनिवार्य शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ता की राशि जिला छात्रवृत्ति समिति के अनुशंसा के आलोक में राशि विमुक्ति के संबंध में।

सचिव के स्तर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि को संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

2–विचार विमर्श के दौरान यह बात सामने आई है कि वर्ष 2013–14 / 2014–15 की छात्रवृति भी काफी संस्थानों को संबंधित जिला द्वारा विमुक्त नही किया जा सका है। साथ ही वर्ष 2013–14 / 2014–15 की छात्रवृति के लिए जिलों से जो अनुमोदित सूची प्राप्त हुई है, उसमें काफी संस्थानों के काफी संख्या में बच्चों के नाम की अनुशंसा इसलिए नही की जा सकी है क्योंकि ऑनलाईन आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र का RTPS संख्या सही रूप से छात्रों द्वारा नही भरे जाने के कारण डुप्लीकेट दर्शाया गया है, तथा अन्य कारणों से भी काफी संख्या में छात्रों द्वारा अपने आवेदन पत्रों में सुधार करने हेतु आवेदन दिया गया है, इस परिप्रेक्ष्य में छात्रों के मूल प्रमाण पत्रों को देख कर सुधार भी किया गया है।

इस बीच कई संस्थानों द्वारा फीस एवं छात्रवृति की राशि उपलब्ध नही कराने से उनका नाम संस्थान से काटने अथवा परीक्षा में सम्मिलित नही होने देने से संबंधित सूचना विभाग में प्राप्त हुई है। वर्तमान में जिला छात्रवृति समिति के अनुशंसा पर छात्रवृति भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

वर्तमान परिस्थिति में अत्याधिक विलंब को देखते हुए जिला छात्रवृति समिति से अनुशंसा प्राप्त करने में और अधिक विलंब होने की संभावना हैं। इसी क्रम में छात्रवृति भुगतान हेतु मुख्यमंत्री के जनता दरबार में काफी संख्या में शिकायते प्राप्त हो रही है। उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से भी निदेश प्राप्त है।

उपरोक्त परिस्थिति में निदेशानुसार विशेष परिस्थिति के रूप में छात्रवृति की राशि विमुक्त करने हेतु तत्काल संबंधित संस्थान से निम्नलिखित कागजात उपलब्ध कराने के शर्त पर तत्काल हुए विलंब को देखते हुए छात्रों के हित में पूर्व की जिला छात्रवृति समिति द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया को राज्य स्तर पर स्वीकृत करने के लिए इस हद तक शिथिल कर निर्णय लिया जा सकता है।

1–संस्थान द्वारा दायर शपथ पत्र।

2–परीक्षा में सम्मिलित होने का साक्ष्य।

3–अंक पत्र/परीक्षा का ब्यौरा।

4–पूर्व में आवदेक के द्वारा भरे गये आवेदन पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति ।

Cruntur Engg College Cruntur, Andhra Pradesh संस्थान द्वारा अ
एवं अनु0 जनजाति के कुल 29 छात्र/छात्रा को वर्ष 2013–14/~~2014–15~~ की
राशि भुगतान कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त हेतु संस्थान द्वारा निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है:–

1–संस्थान द्वारा दायर शपथ पत्र।

2–अंक पत्र/परीक्षा का ब्यौरा।

3–प्रमाण पत्र(जाति आवासीय एवं आय) की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

4– पूर्व में आवदेक के द्वारा भरे गये आवेदन पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति ।

उक्त के आलोक में फीस मद में कुल 2385000 राशि एवं अनुरक्षण भत्त
386600 राशि कुल राशि 2771600 (Twenty Seven la
Seventy one thousand six hundred) स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। विदित
सचिव के ज्ञापांक–174/सी0 दिनांक–27.10.15 के आलोक में संस्थान का अनिवार्य शु
भुगतान किया जा सकता है।

प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

3.2.16

प्रभारी छात्रवृति कोषांग

उपरोक्त कार्यालय टिप्पणी अवलोकनार्थ।

Cruntur Engineering College Cruntur, Andhra
Pradesh संस्थान को अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मद में कुल 2
छात्र/छात्रा हेतु अनिवार्य शुल्क 2385000रू0 एवं अनुरक्षण भत्ता 386600
रू0 अर्थात कुल राशि 2771600 (Twenty Seven lakh Seventy a
के स्वीकृति का प्रस्ताव है। Thousand six hundred only
उक्त प्रस्ताव पर सचिव महोदय का स्वीकृति प्राप्त किया जा सकता है।

BRoy
5/2/16

Govt. of Bihar

SC & ST Welfare Department

No- 5/Dir.(Scholarship)-05/233-1664/2015- 1494

9/2/16

From

Suresh Paswan,
Special Secretary to Govt.

To

The Principal/Director,

Guntur Engineering College.

Yanamadala (V) N.H-5, Guntur

Andhra Pradesh PIN-522019

Patna, dated-

Subject- **Release of Fees and maintenance allowance under the Post matric scholarship scheme for the year -2013-14/ ~~2014-15~~.**

Sir,

with reference to the above subject, I am to say that as per the application ST students in your institution from Bihar and the affidavit submitted by you sanction has been given for Rs. 27,71,600 (Twenty seven la Seventy one thousand Six hundred only) (for Fees and maintenance allowance) for 2 number of students (as per the list enclosed). The entire amount is being tran bank account of the institution through RTGS/NEFT.

2- During the year 2014-15, the applications were taken online and many could not fill it properly and as a result there were auto generated objec duplicate certificate, not posted not received etc. These problems were sorted o applications from students/affidavits from institutions. Similarly, for the y many student's applications were pending at the district level . These applicati processed at the HQ level on the basis of the following documents:-

(i) Affidavit submitted by the institution
(ii) Attested copy of Caste,income,and residential certificates by compe of institution.
(iii) First page of application form- attested by competent authority of ins
(iv) Result details of the university/Examination body

If any discrepancy is found in future, action will be taken against the ins law.

4- It will be the responsibility of the head of the institution to refu maintenance allowance of those students who have left the institution or abs time.

5- You are requested again to verify the caste, income and residential cert other relevant documents and satisfactory progress of student and adjust the fees, as per details mentioned infront of the name of the student in the e Please also inform receipt of maintenance fee paid to student's account. If the already paid the compulsory fees to the institution, the amount sanctio department for that student should be refunded to the student in the bank acc student as mentioned in application form.

6- It is mandatory to verify following facts before adjustment of compulso payment of maintenance allowance paid to the student as per guidelines India:-

(i) Regular attendance,

(ii) False statement submitted by the student

(iii) Guilty of misconduct or participation in illegal strike

(iv) FIR/Case lodged against the student.

Students falling under above category should be blacklisted and de scholarship and the unadjusted and unpaid amount should be refu department. Duplicity of award should be brought to the notice of the depa

7- Report related to payment details should be submitted to this department after adjustment of scholarship amount.

Yours faithfully,

(Suresh Paswan)

Special Secretary to Govt.

Memo no- 5/Dir.(Scholarship)-05/. 233-1664/2015, Patna, dated- 9/2/16

Copy to- Dy.Director(Hq)-cum-DDO, SC & ST Welfare Department,Biha information and necessary action/ Senior Managar,Corporation bank,Boring Patna shall ensure that the total sanctioned amount be transferred to concern account number as per the list enclosed herewith.

Special Secretary to Govt.

POST MATRIC SCHOLARSHIP 2013-2014

Name of Institute	GUNTUR ENGINEERING COLLEGE				
Institute ID	141010135841	District	GUNTUR	State	ANDHRA PRADESH
Address of Institute	YANAMADALA(v), NH-5, GUNTUR-522019				
Name of Bank	STATE BANK OF INDIA	Account Number	30568231428	IFSC	SBIN0011094
Fee Sanctioned	2,385,000	Maintenance Allowance:	386600	Sanctioned	2771600

SL	Application ID	Name of Student	District	SC/ST	Course	Fees	MaintenanceAllowance	TotalAmou
1		Divya Jyothi	ROHTAS	SC	DIPLOMA	45,000	8200	53200
2		Neha Kumari	ROHTAS	SC	DIPLOMA	45,000	8200	53200
3		Dhanu Kumar	BUXAR	SC	DIPLOMA	45,000	8200	53200
4		Dharmendra Kumar	BUXAR	SC	DIPLOMA	45,000	8200	53200
5		Ashok Kumar	JAHANABAD	SC	DIPLOMA	45,000	8200	53200
6		Anand Raj	NALANDA	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
7		Santosh Kumar Das	PATNA	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
8		Anand Kumar	ROHTAS	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
9		Rabindra Kumar	ROHTAS	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
10		Rakesh Kumar Gautam	ROHTAS	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
11		Anand Raj	ROHTAS	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
12		Bicky Kumar Ram	SARAN	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
13		Narendra Baitha	SARAN	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
14		Pawan Kumar Manjhi	SARAN	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
15		Om Prakash Ram	BABUA KAIMUR	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
16		Akhilesh Kumar Gond	Buxar	ST	B.Tech	90,000	14400	104400
17		ARJUN KUMAR RAM	SARAN	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
18		Dhirendra Kumar	ROHTAS	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
19		Iswar Kumar	ROHTAS	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
20		Shiv Prakash	PATNA	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
21		SURAJ PRASAD	SASARAM	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
22		Ravi Kumar Chaudhary	PATNA	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
23		Nitish Kumar	JAHANABAD	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
24		Pankaj Kumar	WEST CHAMP	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
25		Pappu Kumar Ram	WEST CHAMP	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
26		Shailesh Kumar Paswan	WEST CHAMP	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
27		Neeraj Kumar	BANKA	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
28		Anish Kumar	SAMASTIPUR	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
29		Pankaj Kumar	VAISALI	SC	B.Tech	90,000	14400	104400
Total		Rupees twenty seven lakh seventy one thousand six hundred only						

Special Secetary

Enclosure of latter No.....

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार

संस0सं0–5 / निदे0(छात्रवृत्ति)–233–1666 / 15–

विषयः– Croma institute of information & Tech & Science Visakhapatnam संस्था में अध्ययनरत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को वर्ष 2014–15 के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत् अनिवार्य शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ता की राशि जिला छात्रवृत्ति समिति के अनुशंसा के आलोक में राशि विमुक्ति के संबंध में।

सचिव के स्तर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति की राशि को संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

2–विचार विमर्श के दौरान यह बात सामने आई है कि वर्ष 2013–14 / ~~2014–15~~ की छात्रवृत्ति भी काफी संस्थानों को संबंधित जिला द्वारा विमुक्त नही किया जा सका है। साथ ही वर्ष 2013–14 / 2014–15 की छात्रवृति के लिए जिलों से जो अनुमोदित सूची प्राप्त हुई है, उसमें काफी संस्थानों के काफी संख्या में बच्चों के नाम की अनुशंसा इसलिए नही की जा सकी है क्योंकि ऑनलाईन आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र का RTPS संख्या सही रूप से छात्रों द्वारा नही भरे जाने के कारण डुप्लीकेट दर्शाया गया है, तथा अन्य कारणों से भी काफी संख्या में छात्रों द्वारा अपने आवेदन पत्रों में सुधार करने हेतु आवेदन दिया गया है, इस परिप्रेक्ष्य में छात्रों के मूल प्रमाण पत्रों को देख कर सुधार भी किया गया है।

इस बीच कई संस्थानों द्वारा फीस एवं छात्रवृति की राशि उपलब्ध नही कराने से उनका नाम संस्थान से काटने अथवा परीक्षा में सम्मिलित नही होने देने से संबंधित सूचना विभाग में प्राप्त हुई है। वर्तमान में जिला छात्रवृति समिति के अनुशंसा पर छात्रवृति भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

वर्तमान परिस्थिति में अत्याधिक विलंब को देखते हुए जिला छात्रवृति समिति से अनुशंसा प्राप्त करने में और अधिक विलंब होने की संभावना हैं। इसी क्रम में छात्रवृति भुगतान हेतु मुख्यमंत्री के जनता दरबार में काफी संख्या में शिकायते प्राप्त हो रही है। उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से भी निदेश प्राप्त है।

उपरोक्त परिस्थिति में निदेशानुसार विशेष परिस्थिति के रूप में छात्रवृति की राशि विमुक्त करने हेतु तत्काल संबंधित संस्थान से निम्नलिखित कागजात उपलब्ध कराने के शर्त पर तत्काल हुए *विलंब को देखते हुए छात्रों के हित में पूर्व की जिला छात्रवृति समिति द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया को*

विलंब को देखते हुए छात्रों के हित में पूर्व की जिला छात्रवृति समिति द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया को

राज्य स्तर पर स्वीकृत करने के लिए इस हद तक शिथिल कर निर्णय लिया जा सकता है।

1–संस्थान द्वारा दायर शपथ पत्र।

2–परीक्षा में सम्मिलित होने का साक्ष्य।

3–अंक पत्र/परीक्षा का ब्यौरा।

4–पूर्व में आवदेक के द्वारा भरे गये आवेदन पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

Gonna Instt. of information Tech & Science Visakhapatnam A.P. संस्थान द्वारा अनु0 ज

एवं अनु0 जनजाति के कुल 25 छात्र/छात्रा को वर्ष 2013–14/2014–15 की छात्र

राशि भुगतान कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त हेतु संस्थान द्वारा निम्नलिखित कागजात समर्पित किया गया है:–

1–संस्थान द्वारा दायर शपथ पत्र।

2–अंक पत्र/परीक्षा का ब्यौरा।

3–प्रमाण पत्र(जाति आवासीय एवं आय) की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

4– पूर्व में आवदेक के द्वारा भरे गये आवेदन पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति ।

उक्त के आलोक में फीस मद में कुल 22,55,000 राशि एवं अनुरक्षण भत्ता मद

3,53,800 राशि कुल राशि 26,08,800 (Twenty Six Lakh Eigh

Thousand Eight hundred only) स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। विदित हो

सचिव के ज्ञापांक–174/सी0 दिनांक–27.10.15 के आलोक में संस्थान का अनिवार्य शुल्क

भुगतान किया जा सकता है।

प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

3.2.16

प्रभारी छात्रवृति कोषांग

उपरोक्त कार्यालय टिप्पणी अवलोकनार्थ।

Gonna Instt of Information Tech & Science Visakhap

Andhra Pradesh संस्थान को अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मद में कुल 25

छात्र/छात्रा हेतु अनिवार्य शुल्क 22,55,000 रू0 एवं अनुरक्षण भत्ता 3,53,800

रू0 अर्थात कुल राशि 26,08,800 (Twenty Six lakh Eight thousand e hundred only)

के स्वीकृति का प्रस्ताव है।

उक्त प्रस्ताव पर सचिव महोदय का स्वीकृति प्राप्त किया जा सकता है।

4/2/16

Govt. of Bihar

SC & ST Welfare Department

No- 5/Dir.(Scholarship)-05/ 933-1666 /2015. 10

From

Suresh Paswan,
Special Secretary to Govt.

To

The Principal/Director,
Gonna Instt of Information Tech & Science.
Visakhapatnam Andhra Pradesh.
PIN - 530053

Patna, dated-

Subject- Release of Fees and maintenance allowance under the Post ma
scholarship scheme for the year -2013-14/ ~~2014-15~~.

with reference to the above subject, I am to say that as per the applic
S! students in your institution from Bihar and the affidavit submitted by
sanction has been given for Rs 26,08,800 (Twenty six Lakh
Thousand eight hundred only) (for Fees and maintenance allowance) fo
number of students (as per the list enclosed). The entire amount is being
bank account of the institution through RTGS/NEFT.

2. During the year 2014-15, the applications were taken online and ma
could not fill it properly and as a result there were auto generated ob
duplicate certificate, not posted not received etc. These problems were sorte
applications from students/affidavits from institutions. Similarly, for th
many student's applications were pending at the district level. These applic
processed at the HQ level on the basis of the following documents:-

(i) Affidavit submitted by the institution
(ii) Attested copy of Caste,income,and residential certificates by co
of institution.
(iii) First page of application form- attested by competent authority of
(iv) Result details of the university/Examination body

if any discrepancy is found in future, action will be taken against the
law

4. It will be the responsibility of the head of the institution to refu maintenance allowance of those students who have left the institution or at time

5. You are requested again to verify the caste, income and residential cert other relevant documents and satisfactory progress of student and adjust the fees. as per details mentioned infront of the name of the student in the e Please also inform receipt of maintenance fee paid to student's account. If the already paid the compulsory fees to the institution, the amount sanctio department for that student should be refunded to the student in the bank acc student as mentioned in application form.

6- It is mandatory to verify following facts before adjustment of compuls payment of maintenance allowance paid to the student as per guidelines India -

(i) Regular attendance,
(ii) False statement submitted by the student
(iii) Guilty of misconduct or participation in illegal strike
(iv) FIR/Case lodged against the student.

Students falling under above category should be blacklisted and d scholarship and the unadjusted and unpaid amount should be refu department. Duplicity of award should be brought to the notice of the dep

7- Report related to payment details should be submitted to this departmen after adjustment of scholarship amount.

Yours faithfully,

(Suresh Paswan)
Special Secretary to Govt

Memo no- 5/Dir.(Scholarship)-05/1499-1666/2015, Patna, dated- 9/2/16

Copy to- Dy.Director(Hq)-cum-DDO, SC & ST Welfare Department,Bih information and necessary action/ Senior Managar,Corporation bank,Boring Patna shall ensure that the total sanctioned amount be transferred to concer account number as per the list enclosed herewith.

Special Secretary to Gov

POST MATRIC SCHOLARSHIPS 2013-2014

Name of Institute	GONNA INSTITUTE OF INFORMATION & TECHNOLOGY AND SCIENCE						
Institute ID	1418274659563	District	VISAKHAPATNAM	State	ANDHRA PRADESH		
Address of Institute	GONNAVANIPALEM AGANAGANANPUDI DIVISION 56 VISAKHAPATNAM 530053						
Name of Bank	STATE BANK OF INDIA	Account	31477471411	IFSC	SBIN0011112		
Fee Sanctioned	2,255,000	Maintenance	353,800	Net Amount Sanctioned	2,608,80		

SL	Application ID	Name of Student	District	SC/ST	Course	Fees	Maintenance Allowance	TotalAmount
1		Shashi Ranjan Kumar	Muzaffarpur	SC	MBA	100,000	14,400	114,400
2		Ram Laddu Paswan	Arwal	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
3		Amit Kumar	Arwal	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
4		Bambam Kumar Rajak	Bunka	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
5		Akash Jay Kumar	Jahanabad	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
6		Papu Kumar	Jahanabad	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
7		Chunnu Kumar	Jahanabad	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
8		Jay Shankar Prasad Nirala	Kaimur	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
9		Sanjet Kumar	Patna	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
10		Raushan Kumar	Patna	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
11		Laxman Das	Patna	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
12		Vikash Kumar	Patna	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
13		Jitendra Kumar	Patna	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
14		Abhishek Kumar	Patna	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
15		Anand Kumar	Patna	SC	MBA	100,000	14,400	114,400
16		Nagendra Choudhary	Patna	SC	MBA	100,000	14,400	114,400
17		Om Prakash Ram	Siwan	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
18		Manjay Kumar	Muzaffarpur	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
19		Kaushelandra Kumar Mahto	Muzaffarpur	SC	MBA	100,000	14,400	114,400
20		Dharemndra Kumar	Patna	SC	Diploma	45,000	8,200	53,200
21		Premnath Kumar	Patna	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
22		Rohit Kumar	Patna	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
23		Brahma Kumar	Patna	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
24		Ravi Kumar Gautam	Rohtas	SC	MBA	100,000	14,400	114,400
25		Satya Prakash Kumar	Rohtas	SC	B.Tech	90,000	14,400	104,400
	TOTAL	Rupees Twenty Six Lakh Eight Thousand Eight Hundered only/-						104,400

Special Secretary

Enclosure of Letter No. ..... Dated: .....